छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

षष्ठम् विधान सभा | अष्टम् सत्र | अंक-6

नवा रायपुर अटल नगर, सोमवार, दिनांक 09 मार्च, 2026

(फाल्गुन 18, शक संवत् 1947)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(सभापति महोदय (श्री धरमलाल कौशिक) पीठासीन हुए)

1. राष्ट्रकुल दिवस पर अनौपचारिक उल्लेख

माननीय सभापति ने राष्ट्रकुल दिवस के अवसर पर अनौपचारिक उल्लेख किया :-

जैसा कि आप सभी माननीय सदस्य अवगत होंगे कि समूचे विश्व में राष्ट्रकुल दिवस प्रतिवर्ष मार्च माह के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है।

तद्नुसार, आज सोमवार, दिनांक 9 मार्च, 2026 को "राष्ट्रकुल दिवस" पर राष्ट्रकुल देशों ने "एक समृद्ध राष्ट्रमण्डल हेतु एकजुटता से अवसरों की खोज" को "राष्ट्रकुल दिवस" का विषय निर्धारित किया है।

राष्ट्रकुल देश, ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा रहे 56 स्वतंत्र देशों का एक संघ है। विश्व की लगभग एक तिहाई आबादी, जिनमें धर्मों, जाति, संस्कृति, सम्प्रदाय एवं परम्पराओं को मानने वाले नागरिकों का समूह, राष्ट्रकुल में सम्मिलित है। इसका मुख्य उद्देश्य लोकतन्त्र, साक्षरता, मानवाधिकार, बेहतर प्रशासन, मुक्त व्यापार और विश्व शांति को बढ़ावा देना है।

आईये, हम सब राष्ट्रकुल दिवस का विषय एक समृद्ध राष्ट्रमण्डल हेतु एकजुटता से अवसरों की खोज को मूलमंत्र मानते हुये, इस अवसर पर राष्ट्रकुल परिवार के 56 देशों के लक्ष्यों को प्राप्त करने के साथ जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण प्रदूषण, असमानता, आतंकवाद जैसी गंभीर चुनौतियों का समाधान खोजने और सभी देशों के मध्य शांतिपूर्ण एवं खुशहाल वातावरण तैयार करने का संकल्प लें।

आप सभी सम्माननीय सदस्यों को पुनश्च राष्ट्रकुल दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।

सोमवार, 09 मार्च, 2026

2. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01, 02, 03, पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

3. बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न संख्या 03 पर चर्चा के दौरान शासन के उत्तर के विरोध में नेता प्रतिपक्ष, डॉ.चरणदास महंत के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया।

4. प्रश्नकाल (क्रमश:)

प्रश्नकाल में पुन: चर्चा प्रारंभ होने पर प्रश्न संख्या- 05, 06, 07 (कुल 06) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

तारांकित प्रश्न संख्या 04 की प्रश्नकर्त्ता सदस्य श्रीमती विद्यावती सिदार अनुपस्थित रहीं।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 88 तारांकित एवं 93 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

5. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) की धारा-19 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा-19 के अंतर्गत पच्चीसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2025,

(2) श्री श्याम बिहारी जायसवाल, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 58 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार :-

(i) छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित का अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2024-25,

(ii) छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी मत्स्य महासंघ मर्यादित की ऑडिट टीप एवं वित्तीय पत्रक वर्ष 2024-25,

(iii) छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ मर्यादित का अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2024-25 (01 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025) तथा

(iv) छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित का अंकेक्षण प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2024-25

(3) श्री रामविचार नेताम, आदिम जाति विकास मंत्री ने छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम,1995 (क्रमांक 24 सन् 1995) की धारा 14 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का बीसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024-2025 (01 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025) तथा

(4) श्री दयालदास बघेल, खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण मंत्री ने वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन अधिनियम, 1962 (क्रमांक 58 सन् 1962) की धारा 31 की उपधारा (11) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन का बाईसवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं हिसाब पत्रक वर्ष 2023-2024,

पटल पर रखे।

6. स्थगन प्रस्ताव

डॉ.चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष ने राजधानी के समीप मादक पदार्थ अफीम की खेती किए जाने के संबंध में दिए गए स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराए जाने की मांग की।

श्री भूपेश बघेल, श्रीमती संगीता सिन्हा, सर्वश्री विक्रम मंडावी, दलेश्वर साहू, लखेश्वर बघेल, कुंवर सिंह निषाद, द्वारिकाधीश यादव, रामकुमार यादव, उमेश पटेल सदस्य ने भी चर्चा की मांग की।

माननीय सभापति ने स्थगन प्रस्ताव की सूचना पढ़कर सुनाई।

श्री भूपेश बघेल, सदस्य ने सभापति से आग्रह किया कि ग्राह्य कर चर्चा कराएं।

उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने इस पर वक्तव्य दिया।

माननीय सभापति ने माननीय सदस्यों के विचार एवं शासन का वक्तव्य सुनने के पश्चात् इसे प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्य नारे लगाते हुए गर्भगृह में आये।)

7. गर्भगृह में प्रवेश पर स्वमेव निलंबन

माननीय सभापति ने सदन को सूचित किया कि विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250 (1) के अधीन निम्नलिखित सदस्य सभा की कार्यवाही से स्वमेव निलंबित हो गये है :-

डॉ. चरणदास महंत, सर्वश्री भूपेश बघेल, कवासी लखमा, श्रीमती अनिला भेंडिया, सर्वश्री उमेश पटेल, लखेश्वर बघेल, दलेश्वर साहू, भोलाराम साहू, लालजीत सिंह राठिया, रामकुमार यादव, द्वारिकाधीश यादव, श्रीमती अंबिका मरकाम, श्रीमती संगीता सिन्हा, श्री कुंवर सिंह निषाद, श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा, श्री इंद्रशाह मंडावी, श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी, श्री विक्रम मण्डावी, श्रीमती विद्यावती सिदार, सर्वश्री फूलसिंह राठिया, अटल श्रीवास्तव, राघवेन्द्र कुमार सिंह, ब्यास कश्यप, बालेश्वर साहू, श्रीमती शेषराज हरवंश, श्रीमती चातुरी नंद, सर्वश्री संदीप साहू, इंद्र साव, जनक ध्रुव, ओंकार साहू ।

माननीय सभापति ने निलंबित सदस्यों से आग्रह किया कि वे सभा भवन से बाहर चले जायें। निलंबन अवधि का निर्धारण वे पश्चात् करेंगे ।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य नारे लगाते हुए गर्भगृह में बैठ गये।)

8. सदन को सूचना

माननीय सभापति ने सदन को सूचित किया कि- आज भोजन अवकाश नहीं होगा। आज भोजन की व्यवस्था श्री अरूण साव, उप मुख्यमंत्री की ओर से माननीय सदस्यों के लिये लॉबी स्थित कक्ष में एवं पत्रकारों के लिए प्रथम तल पर पत्रकार कक्ष के समीप भोजन कक्ष में की गयी है। कृपया सुविधानुसार भोजन ग्रहण करें।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा गर्भगृह में नारे लगाए गए।)

सोमवार, 09 मार्च, 2026

(सभा की कार्यवाही 12.52 बजे स्थगित की जाकर 01.07 बजे समवेत हुई)

(सभापति महोदय (श्री धरमलाल कौशिक) पीठासीन हुए)

9. निलंबन अवधि समाप्ति की घोषणा

माननीय सभापति ने प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250 (1) के तहत निलंबित माननीय सदस्यों की निलंबन अवधि समाप्त करने की घोषणा की ।

10. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्रीमती भावना बोहरा सदस्य ने प्रदेश में वन अधिकार पट्टे का वितरण नहीं किये जाने की ओर आदिम जाति विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री रामविचार नेताम, आदिम जाति विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

(2) श्री ब्यास कश्यप, सदस्य ने प्रदेश में स्थापित कारखानों में उद्योग नीति का उल्लंघन किये जाने की ओर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री लखनलाल देवांगन, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए)

11. नियम 267- "क" के अंतर्गत विषय

माननीय सभापति की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-"क" के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी गईं :-

1. श्री अजय चन्द्राकर
2. श्री कुंवर सिंह निषाद
3. श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते

12. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्रीमती गोमती साय, (सभापति, पटल पर रखे गये पत्रों का परीक्षण करने संबंधी समिति) ने समिति का प्रथम एवं द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

13. वित्तीय वर्ष 2026-2027 की अनुदान मांगों पर चर्चा

(1) श्री अरूण साव, उप मुख्यमंत्री ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी से संबंधित मांग संख्या-20, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय निकाय से संबंधित मांग संख्या-22, लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल से संबंधित मांग संख्या 24, खेल और युवक कल्याण से संबंधित मांग संख्या-43, लोक निर्माण कार्य-भवन से संबंधित मांग संख्या 67, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय कल्याण से संबंधित मांग संख्या-69, लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं से संबंधित मांग संख्या 76, नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता से संबंधित मांग संख्या-81 प्रस्तुत की ।

मांग संख्या-20 पर सर्वश्री उमेश पटेल, द्वारिकाधीश यादव, जनक ध्रुव **मांग संख्या-22** पर सर्वश्री उमेश पटेल, दलेश्वर साहू, श्रीमती चातुरी नंद, सर्वश्री ओंकार साहू, जनक ध्रुव, **मांग संख्या-24** पर सर्वश्री उमेश पटेल, दलेश्वर साहू, भोलाराम साहू, द्वारिकाधीश यादव, इन्द्रशाह मण्डावी, इन्द्र साव, श्रीमती चातुरी नंद, ओंकार साहू, संदीप साहू, **मांग संख्या-43** पर सर्वश्री लखेश्वर बघेल, दलेश्वर साहू, श्रीमती चातुरी नंद, श्री जनक ध्रुव, **मांग संख्या-67** पर सर्वश्री दलेश्वर साहू, द्वारिकाधीश यादव, भोलाराम साहू, इन्द्रशाह मण्डावी, इन्द्र साव सदस्य के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई ।

श्री द्वारिकाधीश यादव, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री अजय चंद्राकर,

(सभापति महोदय (श्री प्रबोध मिंज) पीठासीन हुए)

सोमवार, 09 मार्च, 2026

सर्वश्री ब्यास कश्यप, सुनील कुमार सोनी, कुंवर सिंह निषाद, धर्मजीत सिंह,

(सभापति महोदय (श्री धरमलाल कौशिक) पीठासीन हुए)

सर्वश्री भोलाराम साहू, मोतीलाल साहू, श्रीमती शेषराज हरवंश, सुश्री लता उसेण्डी, सर्वश्री तुलेश्वर हीरासिंह मरकाम, अनुज शर्मा,

(सभापति महोदय ने सदन की सहमति से आज की कार्यसूची का कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की)

सर्वश्री रामकुमार यादव, प्रबोध मिंज,

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए)

सर्वश्री नीलकण्ठ टेकाम, रोहित साहू, श्रीमती शकुन्तला सिंह पोर्ते, श्री प्रणव मरपची, श्रीमती संगीता सिन्हा, श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े, श्रीमती अंबिका मरकाम, श्री लखेश्वर बघेल, श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी, श्री कवासी लखमा,

(माननीय नेता प्रतिपक्ष डॉ.चरणदास महंत ने माननीय सभापति से अनुरोध किया कि समय अधिक हो चुका है, अत: उप मुख्यमंत्री (गृह) से संबंधित मांगों पर चर्चा कल करा ली जाए)

(माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने भी इस पर सहमति प्रदान की)

श्री अरूण साव, उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(सायं 7.48 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 10 मार्च, 2026 (फाल्गुन 19, शक संवत् 1947) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई)

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा